कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग
"प्रकीर्ण वर्ग", देहरादून।

OFFICE OF THE ENGINEER-IN-CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
E-Mail-cepwdua@gmail.com,
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्रांक 1146/10 अधिप्राप्ति/2026 दिनांक– 14 /09 / 2026

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड शासन लोक निर्माण विभाग अनुभाग–2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–2200/ I I I(2)/22–17(सामान्य)2008 दिनांक 17.06.2022 के द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुपालन में केन्द्रीय शेड्यूल ऑफ रेट्स समिति द्वारा बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दिनांक 30.10.2024 को शेड्यूल ऑफ रेट्स जारी किया गया था।

वर्तमान में खाडी युद्व के कारण बिटुमिन की बेसिक दरों में अत्यन्त वृद्वि हो जाने के कारण बिटुमिन की बेसिक दरों एवं बिटुमिनस मदों को पुनरीक्षित किया गया है। उक्त के अतिरिक्त अन्य सामग्री, श्रमिकों, मशीनों की बेसिक दरों को एवं एस0ओ0आर0 के अन्य मदों को पूर्व की भॉति यथावत रखा गया है।

अतः दिनांक 30.10.2024 को जारी शेड्यूल ऑफ रेट्स को उक्त सीमा तक संशोधित कर जारी किया जाता है।

(इ0 राजेश चन्द्र शर्मा)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1. सचिव, लोक निर्माण विभाग,उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, लोक नियोजन,उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार(लेखा परीक्षा),उत्तराखण्ड देहरादून।
5. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग,देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता (नियोजन/अधिष्ठान),विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0देहरादून।
7. वित्त नियंत्रक, प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष कार्यालय,लो0नि0वि0,देहरादून।
8. क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग,पौड़ी/देहरादून/अल्मोड़ा/हल्द्वानी।
9. मुख्य अभियन्ता,रा0मा0/वि0/यां0/वर्ल्ड बैंक/पी0एम0जी0एस0वाई0 देहरादून।
10. मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग,देहरादून।
11. मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,देहरादून।
12. मुख्य महाप्रबंधक, उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
13. महाप्रबन्धक उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

Scanned with OKEN Scanner

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 देहरादून, की अध्यक्षता में बिटुमिन की बेसिक दरों में हुई अप्रत्याशित वृद्वि के सम्बन्ध में आहुत बैठक की कार्यवृत्त।

स्थान–प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष लो0नि0वि0 कार्यालय, देहरादून

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग, देहरादून की अध्यक्षता में वर्ष 2026–27 में बिटुमिन की बेसिक दरों में हुई अप्रत्याशित वृद्वि के संबंध में एस0ओ0आर0 समिति की बैठक दिनांक–11.09.2026 को 11.00 बजे प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष के कार्यालय कक्ष में आहूत की गयी, बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. इं0 ओम प्रकाश, मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0 पौड़ी।
2. इं0 दयानन्द, मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून। ।
3. इं0 राजेन्द्र सिंह, मुख्य अभियन्ता, (नियोजन) विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
4. इं0 दिवाकरण सिंह हयांकी, मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 अल्मोड़ा। (वी0सी0 के माध्यम से)
5. इं0 प्रहलाद सिंह बृजवाल, मुख्य अभियन्ता लो0नि0वि0 हल्द्वानी। (वी0सी0 के माध्यम से)
6. इं0 हरीश कुमार कुमार, अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 अल्मोड़ा। (वी0सी0 के माध्यम से)
7. इं0 संजय सिंह, एस0एस0ओ0 सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0 देहरादून।
8. इं0 एस0के0 बनवाल, जे0एम0 पेयजल निगम देहरादून।
9. इं0 मुकेश भट्ट, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
10. इं0 वी0बी0 ढौडियाल, (प्राविधिक) ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
11. इं0 मनीष सेमवाल, अधीक्षण अभियन्ता, उत्तराखण्ड जल संस्थान,देहरादून।
12. इं0 मनोज बिष्ट अधीक्षण अभियन्ता, विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।

बैठक में समिति के समस्त सदस्यों द्वारा मिडल ईस्ट में गतिमान युद्ध के कारण बिटुमिन की वर्तमान वास्तविक दरों एवं उसके कारण बिटुमिनस मदों की लागत में हुई वृद्धि के संबंध में विस्तृत विचार–विमर्श किया गया। मुख्य अभियन्ता, प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक योजना (ग0क्षे0) ने अपने पत्रांक 2314/50 याता0/2026 दि011.09.2026 द्वारा भी बिटुमिनस मदों में एस0ओ0आर0 पुनरीक्षित करने का अनुरोध किया गया। पूर्व में विभाग द्वारा दिनांक 30.10.2024 को एस0ओ0आर0 की दरें जारी की गयी है किन्तु खाडी युद्व के कारण बिटुमिन के दरो में दिनांक 30.10.2024 द्वारा जारी एस0ओ0आर0 में ली गयी दरो के सापेक्ष IOC द्वारा दिनांक 01.09.2026 को निर्गत की गयी दरों से लगभग 68 प्रतिशत की वृद्वि हुयी है। समिति द्वारा पाया गया कि बिटुमिन की दरों में वृद्धि के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे है तथा एस0ओ0आर0 में बिटुमिनस मदों को पुनरीक्षित किया जाना आवश्यक है।

उक्त विषय पर विस्तृत चर्चा के उपरांत समिति के सभी सदस्यों द्वारा सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

1. MORD/MISCLLENEOUS/MORTH के अन्तर्गत बिटुमिनस मदों की दरों में बिटुमेन की वर्तमान बढ़ी बेसिक दरों को दृष्टिगत रखते हुए संशोधन किया जाता हैं।
2. MORD/MISCLLENEOUS/MORTH के अन्तर्गत बिटुमिनस मदों की दरों में संशोधन को आज की तिथि 11.09.2026 से प्रभावी किया जाय तथा अन्य मदों की दरो को एवं अन्य सामग्री, श्रमिको, मशीन की बेसिक दरों को यथावत रखा जाता है।

अन्त में समिति के सभी सदस्यों एवं विभागीय अधिकारियों का अध्यक्ष महोदय द्वारा धन्यवाद करते हुये बैठक समाप्त की गई।

(ह0)
अध्यक्ष SOR समिति
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष

कमशः–

Scanned with OKEN Scanner

पत्रांक 11420/10 अधिप्राप्ति/2026 दिनांक 11/09/2026

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष सिचांई विभाग यमुना कालोनी देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता ग्रामीण निर्माण विभाग, देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता (सिविल)/रा0मा0 क्षेत्रीय कार्यालय लो0नि0वि0 अल्मोड़ा/पौडी/हल्द्वानी/देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, नियोजन/अधिष्ठान विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0, देहरादून।
5. महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम देहरादून।
6. मुख्य अभियन्ता, जल संस्थान, देहरादून।
7. मुख्य अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0, देहरादून।
8. वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय लो0नि0वि0,देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता (नियोजन) उत्तराखण्ड शासन।

11/9/2026
(इं0 राजेन्द्र सिंह)
मुख्य अभियन्ता(नियोजन)

Scanned with OKEN Scanner